हरियाणा पुलिस चलाएगी मानव तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान

चर्चा में क्यों

31 मार्च, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा पुलिस समस्त राज्य में मानव तस्करी के खिलाफ अप्रैल माह में एक महीने का अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से पुलिस का उद्देश्य मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को मानव तस्करी से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2023 तक चलेगा।
- इस अभियान में सेमिनार, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल होंगी। इस दौरान हरियाणा पुलिस बचाव अभियान चलाते हुए मानव तस्करी के पीड़ितों को पुनर्वास प्रदान करने के लिये गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगी।
- हरियाणा पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मानव तस्करी से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को उसके आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें। मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
- फील्ड यूनिट्स को भेजे गए संदेश में सभी एसपी और डीसीपी को अभियान चलाने के लिये कहा गया है। सीपी और आईजी/एडीजी रेंज साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करेंगे। लापता बच्चों और वयस्कों की संख्या का पता लगाने और भिखारियों और मज़दूरों को बचाए जाने पर महीने के अंत में फील्ड इकाइयों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।
- इस दिशा में, पुलिस गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों की फिर से जाँच करेगी और आस-पास के राज्यों में आश्रयों और बाल गृहों में पुलिस टीमों को यह देखने के लिये भेजेगी कि उनमें से कोई वहाँ रह रहा है या नहीं। गुमशुदा बच्चों के मामले धारा 363-366 आईपीसी के तहत दर्ज किये जाते हैं, जबकि लापता वयस्कों के मामले 346 आईपीसी के तहत दर्ज किये जाते हैं।
- उल्लेखनीय है कि हरियाणा पुलिस ने वर्ष 2022 में 3379 लापता महिला और 6340 पुरुष वयस्कों का पता लगाया। साथ ही, लापता 1144 लड़कों और 1426 लड़कियों को भी बरामद किया। इसके अतिरिक्त, इसने 41 बंधुआ मजदूरों को भी मुक्त कराया।
- इसी अवधि में, राज्य अपराध शाखा की 22 एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (एएचटीयू) ने लापता 316 पुरुष वयस्कों और 373 महिलाओं का पता लगाया।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, लापता व्यक्ति का मामला आगे की जाँच के लिये राज्य अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया जाता है, अगर यह ज़िले में चार महीने से अधिक समय तक अनसुलझा रहता है।
- अभियान के माध्यम से हरियाणा पुलिस का लक्ष्य महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अन्य राज्य पुलिस और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर बिछुड़ों को उनके प्रियजनों के साथ फिर से जोड़ते हुए परिवार में मुस्कान वापस लाना है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/special-campaign-against-human-trafficking-by-haryana-police